

कार्यालय, नोडल प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी
क्रमांक:-GCK/विद्या सम्बल/2024 /1170

दिनांक- 06.03.2024

विज्ञप्ति

आयुक्तालय के पत्रांक एफ 1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/ गे.फै./दिशा निर्देश/21-00638/16 दिनांक 06.03.2024 की अनुपालना में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 07.08.2023 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित " विद्या सम्बल योजना" के अन्तर्गत इस नोडल महाविद्यालय के अधीन राजसेस महाविद्यालयों के लिए द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो (अधिकतम 14 साप्ताहिक घण्टे अनुसार) 800/- रुपये प्रति कालांश मानदेय पर गैस्ट फ़ैकल्टी(पूर्णतय अस्थाई) के रूप में निम्नानुसार विषयों में दिनांक 09.03.2024 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

क्र.सं.	राजसेस महाविद्यालय	विषय एवं पदों की संख्या	आवेदन जमा करवाने का पता
1	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बवाई	हिन्दी-01, अग्रेजी-01, राजनीति विज्ञान-01, इतिहास-01 अर्थशास्त्र-01, गृह विज्ञान-01, भूगोल-01	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बवाई, सांखी की जोहड़ी, बवाई तह.-खेतड़ी, जिला-नीमकाथाना(राज.) पिन-333501
2	राजकीय महाविद्यालय, बुहाना	अग्रेजी-01, राजनीति विज्ञान-01, इतिहास-01 समाजशास्त्र-01, संस्कृत-01, भूगोल-01	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बुहाना राजकीय अस्पताल, बुहाना के सामने, तह.- बुहाना, जिला-झुन्झुनू(राज.) पिन-333502

नोट:- अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in/college/govt.college.khetri@gmail.com> पर देखें।

नोडल प्राचार्य



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:- <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:- hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(0)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21-00638/16

दिनांक:- 06/03/2024

प्राचार्य,
समस्त राजसेस अधीन महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फ़ैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- विभाग का पूर्व राजकाज नम्बर 4508345 दिनांक 12.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वर्तमान में प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप महाविद्यालयों में द्वितीय सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवाये जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देशों की पालना करते हुये आवेदन आमंत्रित कर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें:-

- (1) उक्त व्यवस्था द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो तक जारी रहेगी लेकिन नियमित नियुक्ति होने अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फ़ैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
- (2) उक्त योजना के तहत गेस्ट फ़ैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु लगाये जाने के संबंध में संबंधित प्राचार्यों के स्तर पर विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये कार्यवाही की जानी है तथा पूर्व में दिये गये शपथ-पत्र को भरवाया जाना सुनिश्चित करें।
- (3) विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार कर गेस्ट फ़ैकल्टी को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किये जाने से संबंधित समस्त कार्यवाही नोडल महाविद्यालय/राजसेस महाविद्यालय के स्तर पर ही की जानी हैं।

- (4) वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 को जारी परिपत्र में वर्णित दरो पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गेस्ट फ़ैकल्टी रख सकेंगे।
- (5) पत्र जारी होने की दिनांक से तीन कार्य दिवस का समय देते हुये विद्या संबल योजना के तहत आवश्यकता-नुसार अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फ़ैकल्टी से आवेदन प्राप्त कर पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये पैनल तैयार कर वरियता के अनुसार गेस्ट फ़ैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना है। शेष शर्तें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार यथावत रहेगी।

उक्त आदेश की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए द्वितीय सेमेस्टर में 13 मार्च तक अध्यापन कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित करें।

06/03/24

अतिरिक्त आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
02. नोडल महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन राजसेस महाविद्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
03. रक्षित पत्रावली।

06/03/24

अतिरिक्त आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 07.08.2023

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (2) वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 के बिन्दु संख्या 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :-

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	18 घंटे
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	18 घंटे
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	18 घंटे
अनुदेशक	-	300/-	18 घंटे
प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	18 घंटे

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :


पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
सहायक आचार्य	800/-	14 घंटे
सह आचार्य	1000/-	13 घंटे
आचार्य	1200/-	12 घंटे

(अ) पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने की अवधि प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निर्धारित की जा सकेगी।

.....2

- (ब) प्रति सप्ताह लिये जाने वाले अधिकतम कालांश की सीमा निर्धारित की गयी है। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर इससे कम कालांश में भी पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा सकता है।
- (स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान भी किया जावे।”

पूर्व में जारी परिपत्र की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।



(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त। 7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोषाधिकारी समस्त।
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
10. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प. 17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।


(मनोष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 08/2023)



विद्या सम्बलन योजनान्तर्गत अतिथि संकाय(Guest Faculty) के लिए आवेदन पत्र

आवेदित महाविद्यालय का नाम :-.....

आवेदित विषय :-

Applicant's Details/आवेदक का विवरण

- Candidate Name/आवेदक का नाम.....
- Father's Name/पिता का नाम
- Mother's Name/माता का नाम
- Gender/लिंग
- Date of Birth/जन्मतिथि
- Candidate Age/उम्मीदवार की आयु YEARS..... MONTHS..... DAYS
- Category/श्रेणी
- Do you belong to Economically Weaker Sections (EWS) category/क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है?
- Specially abled Category/विशेष दिव्यांगजन श्रेणी
- Religion/धर्म
- Marital Status/वैवाहिक स्थिति
- Mobile No./मोबाइल नं.
- Email/ईमेल
- Aadhar Id/आधार आईडी
- Address /पता

Education Qualification Details/शिक्षा योग्यता विवरण

SNo	Name of Exam	Subject Group	Name of Board/ University/ School/ Institute	Roll No.	Result	Year of Passing	Perc entage
1	Secondary/ Equivalent						
2	Sr.Secondary/ Equivalent						
3	Graduation/ Equivalent						
4	Post Graduation/ Equivalent						

5	PhD								
6	M.Phil								
7	NET With JRF								
8	NET								
9	SLET/SET								
10	Research Paper Published								
11	Reward at National/ International Level								
12	Reward at State Level								

Experience Details/अनुभव का विवरण

SN o	Expe- rience Type	From	To	Years of Service (in year/ month /days)	Name of Employer	Type Of Employ- ment	Pay Scale	Grade Pay	Nature of duties performe d	Designation
1	UG									
2	PG									
3	Workin g Expe- rience 3									

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है तथा उनके सत्यापन हेतु मैंने दस्तावेजों की स्वयंप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर दी है। महाविद्यालय द्वारा जब भी दस्तावेज जाँच के लिये मुझे बुलाया जावेगा मैं मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित हो जाऊंगा।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

विषय की सूची

विद्या सम्बल योजनान्तर्गत